न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठीसीन अधिकारी :—

वाद पत्र संख्या :—

दुर्गाशंकर मीना (RAS)

77/2019

1. महिपाल सिंह आयु 27 साल आ0 हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी कोडक्या बालाजी तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0

— वादी

बनाम

1. हनुमान सिंह आयु 54 साल आ0 पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी कोडक्या बालाजी तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. तरूण सिंह आयु 15 साल आ0 हनुमान सिंह नाबालिंग जर्ये संरक्षक माता गिरजा कॅवर पत्नी हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी कोडक्या बालाजी तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
3. कृष्णा कॅवर आयु 24 साल पुत्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी कोडक्या बालाजी तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
4. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन

— प्रतिवादीगण

वादः— अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि

अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थिति :—

1— वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट

2— प्रतिवादीगण की और सें श्री महावीर प्रसाद बागडी एडवोकेट

—::निर्णय::—

दिनांकः 13.12.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 17.05.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 303 पुराना 278 की कृषि भूमि खसरा संख्या 800 रकबा 1.15 है0, खसरा संख्या 843 रकबा 1.14 है0, खसरा संख्या 844 रकबा 1.34 है0, खसरा संख्या 845 रकबा 0.89 है0, खसरा संख्या 846 रकबा 0.93 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.45 है0 वाके ग्राम व माल कोडक्या बालाजी पटवार हल्का कोडक्या बालाजी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 मे स्थित है। मूल पुरूष हनुमान सिंह है। हनुमान सिंह के पुत्र वादी महिपाल सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 तरूण सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णा कॅवर है। वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पुरखो सें पीढ़ी दर पीढी चली आ रही है। जिसमें वादी 1/4

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी पृथक सें निवास कर रहा है स्वयं तथा अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिये अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली कृषि भूमि का हिस्सा प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने सें उक्त भूमि को रहन, बय व अन्यत्र हस्तानान्तरण करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को विधिवत रूप से 1/4–1/4 हिस्से का पृथक बंटवारा दर्ज किया जावे।

3. वादी को वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 ने वादी के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णा कॅवर ने अपने हिस्से की कृषि भूमि को अपने भाई व पिता के पक्ष में छोडने की सहमति व्यक्त की तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की और सें दिनांक 11.12.2019 को राजीनामा पेश किया गया।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 11.12.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–::निर्णय::–

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 303 पुराना 278 के खसरा संख्या 843 रकबा 1.14 है0, खसरा संख्या 844 रकबा 1.34 है0, खसरा संख्या 845 रकबा 0.89 है0, खसरा संख्या 846 रकबा 0.93 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.30 है0 वाके ग्राम व माल कोडक्या बालाजी पटवार हल्का कोडक्या बालाजी तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी महिपाल सिंह आ0 हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी कोडक्या बालाजी तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 एवं प्रतिवादी संख्या 2 तरूण सिंह आ0 हनुमान सिंह नाबालिंग जर्ये संरक्षक माता गिरजा कॅवर पत्नी हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी कोडक्या बालाजी तहसील कें0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से व कब्जे में रहेगी। खाता संख्या नया 303 पुराना 278 की कृषि भूमि खसरा संख्या 800 रकबा 1.15 है0, वाके ग्राम व माल कोडक्या बालाजी पटवार हल्का कोडक्या बालाजी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में प्रतिवादी संख्या 1 हनुमान सिंह आ0 पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी कोडक्या बालाजी तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से व कब्जे में रहेगी। खाता संख्या 303 पुराना 278 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णा कॅवर पुत्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी कोडक्या बालाजी तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में कोई कृषि भूमि नही रहेगी एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

Scanned with CamScanner

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

महिपाल सिंह v/s हनुमान सिंह वगै0

वादः– अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 77/2019

वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 व 3 की ओर से श्री महावीर ाद बागडी की और सें उपस्थिति में आज दिनांक 13/12/2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

"वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 303 पुराना 278 के खसरा संख्या 843 बा 1.14 है0, खसरा संख्या 844 रकबा 1.34 है0, खसरा संख्या 845 रकबा 0.89 है0, खसरा संख्या 846 बा 0.93 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.30 है0 वाके ग्राम व माल कोडक्या बालाजी पटवार हल्का डक्या बालाजी तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी महिपाल सिंह आ0 हनुमान सिंह जाति जपूत निवासी कोडक्या बालाजी तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 एवं प्रतिवादी संख्या 2 तरूण सिंह 0 हनुमान सिंह नाबालिंग जर्ये संरक्षक माता गिरजा कॅवर पत्नी हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी डक्या बालाजी तहसील कें0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से व कब्जे में रहेगी। खाता संख्या नया 303 ाना 278 की कृषि भूमि खसरा संख्या 800 रकबा 1.15 है0, वाके ग्राम व माल कोडक्या बालाजी पटवार ल्का कोडक्या बालाजी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में प्रतिवादी संख्या 1 हनुमान सिंह आ0 पृथ्वी ंह जाति राजपूत निवासी कोडक्या बालाजी तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से व कब्जे में हेगी। खाता संख्या 303 पुराना 278 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णा कॅवर पुत्री हनुमान ंह जाति राजपूत निवासी कोडक्या बालाजी तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में कोई कृषि मि नही रहेगी एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि क्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीज .... ग .... मुबलिक ....ग .... बाबत ....ग .... खर्चा स मुकदमें के मय सूद व शरह .... ग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी नक ....ग .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13.12.2019 को जारी की गई।

(मोहर) उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner